बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/विविध–13–28/2018(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–..

डॉ० शमीम शोहरेय आफाक, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलासी, अररिया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध दिनांक–01.04.2003 से 13.12.2010 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं०–589(9) दिनांक–13.08.2021 द्वारा 10% (दस प्रतिशत) उपदान सहित पूर्ण पेंशन जब्त करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी थी।

2. डॉ० आफाक द्वारा उक्त शास्ति के विरूद्ध समादेश याचिका सं०–51/2022 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त समादेश याचिका में दिनांक–12.12.2024 को आदेश पारित किया गया जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"14. Having considered the admitted facts and the settled legal position, this Court finds that the very initiation of the department proceeding against the petitioner under rule 43(b) of the Rules, 1950 with respect to an event which took place in between 01.04.2003 and 13.12.2010, is wholly time barred in terms of rule 43(b)(a)(ii) and, as such, this Court has no hesitation to set aside the impugned order dated 11.08.2021 as contained in Memo No. 589(9) dated 13.08.2021.

15. The respondent authorities are hereby directed to ensure full pension and 10% gratuity amount, preferably within a period of twelve weeks from the date of receipt/production of a copy of this order."

3. समादेश याचिका सं०–51/2022 में पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपील वाद सं०–621/2025 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–19.01.2026 को पारित आदेश में अपीलवाद को खारिज कर दिया गया।

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिाका सं०–51/2022 में दिनांक–12.12.2024 को पारित आदेश में अधिसूचना सं०–589(9) दिनांक–13.08.2021 को निरस्त किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित आदेश के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० शमीम शोहरेय आफाक, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलासी, अररिया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं०–589(9) दिनांक–13.08.2021 द्वारा 10% (दस प्रतिशत) उपदान सहित शत प्रतिशत पेंशन की राशि जब्त करने की अधिसूचित एवं संसूचित शास्ति को निरस्त किया जाता है।

5. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

Email

ज्ञापांकः–9/विविध–13–28/2018(स्वा0) 276(9) /पटना, दिनांकः–10.03.2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

10/03/26

(15)

ज्ञापांकः–9/विविध–13–28/2018(स्वा0) 276(9)... /पटना, दिनांकः–10.03.2026

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐ पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाॅ एवं मुंगेर प्रमंडल मुंगेर/जिला पदाधिकारी अररिया एवं खगडिया/सिविल सर्जन, अररिया एवं खगडिया/कोषागार पदाधिकारी, अररिया एवं खगडिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐ, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० शमीम शोहरेय आफाक, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलासी, अररिया, पुनः अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीसकरपुर, खगडिया सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता–ग्राम छोटी बलिया उपर टोला, पो०–लखमिनियाॅ, थाना–बेलिया, जिला–बेगूसराय–851211 मो० नं०–9934454306 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–Department PMU Lead को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10/03/2026

सरकार के अवर सचिव।